



कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आलोट, जिला रतलाम (म0प्र0)

phone no. 07410-230446, email add: alotmandi@gmail.com,

क्र0 / मंडी / प्रां / संपदा / 2017-18 / 484

आलोट, दिनांक:- 11/12/17

// - निविदा आमंत्रण सूचना - //

एतद् द्वारा कृषि उपज मंडी समिति आलोट में निम्नलिखित संरचना जो जीर्ण-क्षीर्ण हालत में हैं, के विनष्टीकरण (डिस्मेंटलिंग) हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/ठेकेदारों से लम्प-सम्प आधार पर निविदाएँ जो कि ऑफसेट वेल्यू से अधिक हो पर दिनांक 04/01/2018 को 17:30 बजे तक सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदाएँ मंडी बोर्ड वेबसाईट www.mpmmandiboard.gov.in से क्रय करने की अंतिम दिनांक 02/01/2018 को 17:30 बजे तक निर्धारित है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 05/01/2018 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आलोट में खोले जावेंगे।

क्र0	संरचना का नाम एवं स्थल	भवन की अपसैट मुल्य (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र कि शुल्क राशि (रूपये में)	कार्यपूर्ण करने कि समयावधि
01	पुराना केटिन भवन डिस्मेंटलीग कार्य मुख्य मंडी प्रांगण आलोट	120451-00	25000-00	1000-00	01 माह

शर्त:-

- (1) निविदा प्रपत्र एवं कार्य से संबंधित अन्य जानकारी मंडी बोर्ड वेबसाईट www.mpmmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है।
- (2) फर्म/संस्था/सहकारी संस्था/व्यक्तिगत निविदाकार स्वरूप के निविदाकार को निम्नलिखित दस्तावेजों कि वैध स्वयं प्रमाणित प्रतिया धरोहर राशि के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
A.) P.A.N.NO.
B.) G.S.T. TIN NO.
C.) Affidavit on Rs. 50.00 stamp paper (notarized) stating that document submitted physically, no close relative working in Mandi Samiti and Bord.
- (3) नियम एवं शर्त निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।
- (4) धरोहर राशि एवं दस्तावेज दिनांक 04/01/2018 को सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आलोट में शाम 05:30 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। अंतिम तिथी के पश्चात प्राप्त हुए दस्तावेज को मान्य नहीं किया जावेगा।
- (7) धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप जो कि 06 माह से कम की अवधि की नहीं हो तथा सचिव कृषि उपज मंडी समिति आलोट के नाम से देय हो स्वीकार कि जावेगी।
- (8) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं कि जावेगी।
- (9) निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति के पास सुरक्षित है। जिसका कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

निरंतर.....02.....

(2)

- (10) निविदा स्वीकृती उपरांत अनुबंध के समय ऑफर कि एक मुश्त राशि डीमॉंड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। एवं संरचनाओं का विनष्टीकरण (डिस्मैटलींग) कर सामग्री स्थल से निर्धारित समयसीमा में हटाया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा प्रतिदिन के हिसाब से 1000.00 रु/- पेनाल्टी लगाई जावेगी।
- (11) विनष्टीकरण (डिस्मैटलींग) हेतु प्रस्तावित संरचना का निरीक्षण कार्यालयीन समय में संबंधित प्रांगण प्रभारी से संपर्क कर किया जा सकता है।
- (12) अन्य शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकता है।

(श्रीमति राजश्री ओपेन्द्रसिंह यादव)
अध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति आलोट
जिला रतलाम (म0प्र0)

(श्री रमेशचन्द्र मुजावदिया)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति आलोट
जिला रतलाम(म0प्र0)

सत्य-प्रतिलिपि


सचिव
कृषि उपज. मण्डी समिति
आलोट, जिला रतलाम